

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

कार्यालय उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी

सैक्टर -6, नौएडा

पत्र संख्या/नौएडा/उ०मु०का०अ०(वी)५०३० जल-राजस्व / 11 / 13
दिनांक :

6/11/13

कार्यालय आदेश

मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के आदेश दिनांक 14.10.13 के अनुपालन में तत्काल प्रभाव से ग्रुप हाउसिंग में 100 एमएम व्यास तथा अधिक के जल संयोजन शुल्क एवं अनुरक्षण चार्ज की वृद्धि निम्नानुसार की जाती है।

जल संयोजन चार्ज (प्रशासनिक चार्ज)

	पूर्व में स्वीकृत	वर्तमान स्वीकृत
1 E W S/ LIG	रु० 2,000.00 के स्थान पर	रु० 5,000.00 प्रति फ्लैट
2 MIG/HIG/Duplex	रु० 2,500.00 के स्थान पर	रु० 10,000.00 प्रति फ्लैट
3 संचालन एवं अनुरक्षण शुल्क	रु० 1,000.00 के स्थान पर	रु० 6,000.00

(R M Charges)

उपरोक्त बिन्दु सं० 1 से 3 में जल संयोजन प्रशासनिक चार्ज एवं अनुरक्षण शुल्क एक बार ही लिये जाते हैं। संचालन एवं अनुरक्षण शुल्क (Running & Maintenance Charges) कब्जा प्रमाण पत्र के माह से उपरोक्ता के जल संयोजन की तिथि तक लिया जाता है।

अन्य दरें पत्र सं० नौएडा/उ०मु०का०अ०(वी)/2013/229 दिनांक 30.05.2013 में निर्गत कार्यालय आदेश के अनुसार रहेंगी। जिन प्रकरणों में धनराशि जमा हो गई है तथा संयोजन आदेश निर्गत नहीं हुआ है उनसे बड़ी दरों के अनुसार अवशेष राशि जमा कराने के उपरान्त संयोजन आदेश निर्गत किया जाये।

(विजय कुमार यादव)
उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी
नौएडा

प्रतिलिपि:-

- 1 निजी सचिव को अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के सादर अवलोकनाथ।
- 2 निजी सचिव को अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी के सादर सूचनाार्थ।
- 3 निजी सचिव को उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी (ए/आर) के सूचनाार्थ।
- 4 विशेष कार्याधिकारी (एम) नौएडा।
- 5 वित्त नियन्त्रक नौएडा।
- 6 मुख्य अनुरक्षण अभियन्ता (जल) नौएडा।
- 7 मुख्य अनुरक्षण अभियन्ता (सिविल) नौएडा।
- 8 समस्त मण्डलीय अधिकारी।
- 9 मैनेजर (सिस्टम) नौएडा की वेबसाइट में डालने हेतु।
- 10 पत्रावली G H -O-1/2/3 सैक्टर 94वीं हेतु।

उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी
नौएडा